न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 3209 /विधि सहरसा, दिनांक 01-11-2023

प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं0-114/2022 एवं 12/2023 में दिनांक-31.10.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी वाद सं0-27/2021 एवं 29/2021 से संबंधित अभिलेख (पृ0 185+पृ0 242 कुल-427 पृ0) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

प्रतिलिपि :- इशरत प्रवीण, पति-मो0 सफीक / मीणा टुडू पति-अशोक कुमार मुर्मु, सभी सा0-मल्हनी, वार्ड नं0-08, पंचायत-मल्हनी, प्रखंड+जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनाबाड़ी वाद संख्या-114/2022 एवं 12/2023

इशरत प्रवीण बनाम राज्य एवं अन्य

तथा

मीना टुडू बनाम राज्य एवं अन्य

-:आदेश:-

प्रस्तुत आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या-336, ग्राम पंचायत-मल्हनी, वार्ड नं0-08, प्रखंड-सुपौल, जिला-सुपौल के सेविका चयन से संबंधित आंगनबाड़ी अपीलवाद संख्या-27/2021 में दिनांक-25.06.2022 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के द्वारा पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु तथा मीना टुडू, पति-अशोक कुमार मुर्मु, सा0-मल्हनी, वार्ड नं0-08, पंचायत-मल्हनी, प्रखंड+जिला-सुपौल के द्वारा न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के द्वारा आंगनबाड़ी अपीलवाद संख्या-12/2022 में दिनांक-20.01.2023 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है।

इशरत प्रवीण का पक्षः-

इशरत प्रवीण की ओर से दायर वादपत्र तथा बहस में भाग लेते हुए उनके अधिवक्ता का मूल रूप से कहना है कि प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र के सेविका पद पर चयन हेतु विज्ञापन वर्ष-2018 में प्रकाशित किया गया था एवं गलत ढंग से अत्यंत पिछड़ा वर्ग बाहुल्य को अनुसूचित जनजाति वर्ग बाहुल्य कर दिया गया था, जिस संबंध में उनके द्वारा आपत्ति किये जाने पर उक्त विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। पुनः वर्ष 2020 में उक्त केन्द्र के सेविका पद पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित

किया गया, किन्तु पुनः वर्ग बाहुल्य अनुसूचित जनजाति ही प्रकाशित किया गया, जिसके विरूद्ध उनके द्वारा वरीय पदाधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज करायी गई, किन्तु संज्ञान नहीं लिया गया। उक्त विज्ञापन के आलोक में उनके द्वारा वांछित सभी प्रमाण-पत्र दर्ज कर आवेदन दाखिल किया गया तथा आवेदिका मीना टुडु, पति-अशोक कुमार मुर्मु के द्वारा भी आवेदन समर्पित किया गया। दिनांक 21.10.2020 को उक्त केन्द्र के सेविका चयन हेतु आयोजित आमसभा में संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा नियम के विरूद्ध मीना टुडु का चयन कर दिया गया। उक्त चयन के विरूद्ध उनके द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल के समक्ष वाद सं0-07/2021 दाखिल किया गया, जिसमें दिनांक-17.02.2021 को आदेश पारित करते हुए श्रीमती मीना टुडु, पति-अशोक कुमार मुर्मु के चयन को रद्द करते हुए महिला पर्यवेक्षिका को विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। महिला पर्यवेक्षिका द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर उनके द्वारा न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल में अपीलवाद संख्या-27/2021 दाखिल किया गया। उक्त वाद में सुनवाई के उपरांत दिनांक-25.06.2022 को आदेश पारित किया कि जाँचोपरान्त वर्ग बाहुल्यता अति पिछड़ा वर्ग पाया गया तथा मीना टुडु अनुसूचित जनजाति से है। बाहुल्य वर्ग से नहीं आने के कारण ये चयन की अर्हता पूर्ण नहीं करती हैं तथा इशरत प्रवीण के आवेदन के साथ दो शैक्षणिक प्रमाण-पत्र संलग्न रहने के आधार पर उनके प्रमाण-पत्र को फर्जी घोषित कर दिया गया। दोनों ही आवेदिका को चयन की योग्यता/अर्हता पूर्ण नहीं करने के कारण उनके द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल के आदेश ज्ञापांक 18-1 दिनांक 17.02.2021 को निरस्त करते हुए इस केन्द्र पर सेविका चयन हेतु नये सिरे से विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई करने का निदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल को दिया गया।

आवेदिका इशरत प्रवीण का कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के द्वारा पारित उक्त आदेश विधि विरूद्ध एवं

असंवैधानिक है। उनका कहना है कि प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग बाहुल्य है तथा वे उक्त केन्द्र के पोषक क्षेत्र की निवासी तथा बाहुल्य वर्ग की अभ्यर्थी हैं। वे इशरत प्रवीण के नाम से अपना सभी वांछित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित की हैं। इसामलिया खातुन, पति-जाकिर हुसैन कौन महिला है, इसकी जानकारी प्रार्थिनी आवेदिका को नहीं है तथा उसके द्वारा उक्त नाम से शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र किसके द्वारा दाखिल किया गया है, इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं है। इशरत प्रवीण के द्वारा बाहुल्य वर्ग की आवेदिकाओं में सर्वाधिक 62.5% अंक होने के आधार पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा उनके पक्ष में पारित आदेश को विधि अनुकूल बताया गया है। अतः उनके द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के आदेश को विखंडित करते हुए तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल के आदेश को बरकरार रखते हुए, उसके अनुसार प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र के सेविका हेतु उन्हें चयनपत्र निर्गत करने हेतु आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

मीना टुडु का पक्षः-

मीणा टुडु, पति-अशोक कुमार मुर्मु का कहना है कि प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र के सेविका चयन हेतु वर्ष 2020 में प्रकाशित विज्ञापन में पुनः अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वर्ग प्रकाशित किये जाने पर अन्य आवेदकों के साथ पुनः उनके द्वारा भी अपना सभी वांछित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया। इस हेतु आयोजित आमसभा दिनांक-21.12.2020 को सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति वर्ग बाहुल्य तथा उक्त वर्ग के आवेदकों में सर्वाधिक मेधा अंक के आधार पर उनका चयन किया गया। चयन पश्चात् विभागीय निर्देशों के अनुसार वे निर्विवाद अपने कर्त्तव्यों का पालन करते चली आयी। इशरत प्रवीण के द्वारा दुर्भावना से प्रेरित तथ्यहीन आवेदन के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल द्वारा वाद संख्या-07/2021 में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर उनके द्वारा भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी

(ICDS), सुपौल के समक्ष अपील वाद संख्या-29/2021 दाखिल किया गया, जिसे खारिज करते हुए उक्त केन्द्र पर सेविका चयन हेतु नये सिरे से विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश के पुनरीक्षण हेतु उनके द्वारा इस न्यायालय में वाद दायर किया गया है।

उनका कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून व तथ्यात्यक दोनों ही दृष्टि से पोषणीय नहीं हैं। निम्न न्यायालय के द्वारा विभागीय निर्देशों व प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया है। वर्ष 2018 में उक्त केन्द्र के सेविका चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन में वर्ग बाहुल्य अनुसूचित जनजाति प्रकाशित किया गया था, जिसपर आपत्ति किये जाने पर उक्त विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। जाँचोपरान्त उक्त आपत्ति को गलत पाये जाने पर पुनः वर्ष 2020 में वर्ग बाहुल्य अनुसूचित जनजाति घोषित करते हुए विज्ञापन प्रकाशित किया गया। तदालोक में दिनांक 21.12.2020 को आयोजित आमसभा में बाहुल्य वर्ग अनुसूचित जाति का होने, पोषक क्षेत्र का निवासी होने तथा सर्वाधिक मेधा अंक होने के आधार पर उनका चयन आमसभा में सर्वसम्मति से करते हुए, उन्हें चयन पत्र दिया गया। उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बहस में भाग लेते हुए बताया गया कि विज्ञापन में प्रकाशित वर्ग बाहुल्यता को परिवर्तित करने का अधिकार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को नहीं है। इस आशय से निम्न न्यायालय का आदेश अवैध तथा गैरकानूनी हैं। अपीलार्थी के द्वारा भूलवश जिला पदाधिकारी, सुपौल के समक्ष पुनरीक्षण वाद दायर कर दिया गया, जिसमें दिनांक-20.01.2018 को आदेश पारित कर मार्गदर्शिका, 2019 में वर्णित प्रावधानानुसार प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष वाद दायर करने हेतु सलाह दिया गया। तदनुसार पुनरीक्षण वाद दायर करते हुए उनके द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उचित अनुतोष प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं

अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा उल्लेखित वर्ग बाहुल्यता जाँच संबंधी प्रतिवेदन अनुपलब्ध पाया गया जिस आधार पर यह साबित हो सके कि उक्त केन्द्र अनुसूचित जनजाति वर्ग बाहुल्य का नहीं है। प्रथम बार 2018 में विज्ञापन के समय अनुसूचित जनजाति वर्ग बाहुल्यता पाया गया था। पुनः वर्ष 2020 के विज्ञापन के समय भी अनुसूचित जनजाति वर्ग बाहुल्य पाते हुए विज्ञापन निकाला गया था। उक्त वर्ग में मीना टुड्डू का चयन सर्वोच्च अंकधारी होने के कारण आमसभा द्वारा विधिवत रूप से किया गया था। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को खंडित करते हुए मीना टुड्डू के चयन को सही मानते हुए उनका चयन यथावत रखने का आदेश पारित किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।